रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1238] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929
No. 1238] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 1744(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 5 के उप-नियम (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) बहु-उत्पाद के लिए एक विशेष आर्थिक जोन में एक हजार हैक्टेयर या उससे अधिक का किन्तु 5000 हैक्टेयर से अनधिक संलग्न क्षेत्र होगा:

परन्तु यदि कोई विशेष आर्थिक जोन असम, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा या किसी संघराज्य क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो क्षेत्र दो सौ हैक्टेयर या उससे अधिक होगा :

परन्तु यह और कि उस क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत भाग विकास प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने के लिए निश्चित किया जाएगा ।"।

3. मूल नियम में, नियम 18 के उप-नियम (4) में, खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

4. सं. का.आ. 393(अ), तारीख 16 मार्च, 2007 द्वारा अधिसूचित आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 में नियम 1 के उप-नियम (1) में "(दूसरा संशोधन)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(संशोधन)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एफ. 1/6/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ), तारीख 10 अगस्त, 2006 और सं. का.आ. 393(अ), तारीख 16 मार्च, 2007 द्वारा उनका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2007

G.S.R. 1744(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2007;

(2) they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, in sub-rule (2), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) A Special Economic Zones for multi-product shall have a contiguous area of one thousand hectare or more but not exceeding 5000 hectares :

Provided that in case a Special Economic Zone is proposed to be set up in Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, Jammu and Kashmir, Goa or in a Union Territory, the area shall be two hundred hectares or more :

Provided further that at least fifty per cent of the area shall be earmarked for developing the processing area.".

3. In the principal rules, in rule 18, in sub-rule (4), clause (g) shall be omitted.

4. In the Special Economic Zones (Second Amendment) Rules, 2007, notified *vide* number S.O. 393(E) dated the 16th March, 2007, in sub-rule (1) of rule 1, for the brackets and words "(Second Amendment)", the brackets and words "(Amendment)" shall be substituted.

[F. No. F. 1/6/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 470(E) dated the 10th August, 2006 and number S.O. 393(E) dated the 16th March, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.